

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, गौतमबुद्धनगर एवं हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2008

विषय:- वर्ष 2008-09 में आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकार किये गये समर्पण की सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के अंतर्गत आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त निम्नांकित अप्रयुक्त एवं अवशेष धनराशि का समर्पण शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है :-

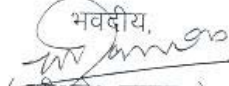
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० स०	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	आवंटित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकार की गयी समर्पित धनराशि
1	चित्रकूट	809/दौ०आपदा/2008, दि० 3.11.08	1161.28	327.38
2	सिद्धार्थनगर	493/राहत लिपिक/ 2008-09, दि० 14.11.08	515.00	25.00
3	गौतमबुद्धनगर	1193/सी०आर०ए०/2008, दि० 11.11.08	286.92	135.26
4	हमीरपुर	302/सी०आर०ए०-तेरह- सूखा राहत ध०वा०/स०(2008-09) दि० 11.11.08	2094.88	175.85
		योग :	4058.08	663.49

SAMARPAN

1

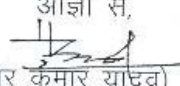
2. कृपया दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता जनपद स्तर पर रोकी गयी धनराशि से किया जाय, परन्तु कोषागार नियम-27 से धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय। राहत वितरण हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर शासन को धनावंटन प्रस्ताव अविलम्ब पत्र वाहक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी /राजस्व अनुभाग-10 को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या - 5473 (1)/1-10-2008-12(86)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग -6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव